11/2/26

पत्रावली पेशी में ली गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के माध्यम से धारा 88 के अन्तर्गत याचित किया है कि चक 50 NJC खाता नं. 103/83 प.न. 130/250(14) कि.नं. 9/.253 में से वादी की क्रयशुदा भूमि 0.021 हैक्टेयर जो वादी की कब्जा काश्त व रजिस्टर्ड बैयनामा प्राप्त भूमि है। अर्सा बाद भी तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा उक्त भूमि का नामान्तकरण नही किया जा रहा है इसलिए उक्त भूमि की डिक्री वादी के नाम से जारी की जावे।

वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। तलबी उपरांत हाजिर नही आने के कारण इसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण में जवाब नोट पेश कर अंकन किया है कि नामान्तकरण दर्ज करने में विधिक आपति है, क्योंकि क्रय शुदा भूमि का अकृषिक उपयोग हो रहा है। तथा न्यायालय द्वारा डिक्री

की पालना में नामान्तकरण दर्ज करने में प्रतिवादी सं. 4 सहमत है।

पत्रावली में वादी को सुना गया तथा बैयनामा का अवलोकन किया। वादी द्वारा चक 50 NGC खाता नं. 85/83 संवत 2073-76 प.नं. 130/250(14) कि. नं. 9 तादादी 0.253 में से 0.021 हैक्टेयर का क्रय किया है, इसलिए वादी को 0.021 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार उक्त खाता से चक 50 NGC खाता 103/83 से खातेदार अविनाश कुमार पुत्र गणेशाराम, दर्शनलाल पुत्र गणेशालाल व सोहनलाल पुत्र गणेशालाल का हिस्सा कर अमलदरामद किया जावे। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़